आपसी स्वीकृति के साथ सहमति की परिभाषा

आपसी स्वीकृति के साथ सहमति किसी यौन संबंधी गतिविधि में शामिल होने के लिए पूरी जानकारी के साथ स्वेच्छा से आपसी सहमति के साथ लिया गया निर्णय होता है। स्वीकृति को शब्दों में या किसी तरह की क्रिया के माध्यम से प्रकट किया जा सकता है, जब तक कि उस शब्द या क्रिया से यौन गतिविधि में शामिल होने की आपसी सहमति को स्पष्ट रूप से व्यक्त न किया जाए। पूरी तरह शांत रहने या प्रतिरोध न करने से सहमति को प्रकट नहीं किया जाता। मूल रूप से सहमति की परिभाषा, सहभागियों के लिंग, लैंगिक रुझान, लैंगिक पहचान या लैंगिक अभिव्यक्ति पर आधारित नहीं होती।

किसी भी पक्ष के बीच कोई भी यौन संबंधी गतिविधि के लिए सहमति या पूर्व सहमति वाली यौन संबंधी गतिविधि के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसमें किसी अन्य यौन संबंध के लिए भी सहमति शामिल हो।

चाहे इस तरह की गतिविधि को शुरू करने वाला व्यक्ति ड्रग्स और/या अलकोहोल से प्रभावित हो या न हो, इस पर ध्यान दिए बिना सहमति लेना आवश्यक होता है।

हो सकता है कि शुरू में सहमति दी जाए, लेकिन किसी भी समय उस सहमति को वापस लिया जा सकता है।

जब कोई व्यक्ति विवश हो, तो ऐसी स्थिति में सहमति नहीं दी जा सकती, ऐसा तब होता है जब किसी व्यक्ति के पास यौन संबंधी गतिविधि में भाग लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता या फिर उस व्यक्ति में ऐसा करने के लिए निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। अक्षमता, जागरुकता के अभाव में हो सकती है या नींद में होने की वजह से, बाधित होने की वजह से या किसी अन्य कारण से हो सकती है। किसी व्यक्ति ने नशा किस हद तक किया है, इस आधार पर अल्कोहोल, ड्रग्स या अन्य नशीले पदार्थों से प्रभावित व्यक्ति की अवस्था का अनुमान और इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि वह स्वीकृति देने में असमर्थ क्यों है।

जबरदस्ती, डराकर, बलपूर्वक या धमकी देकर सहमति नहीं ली जाती।

जब सहमति को रद्द कर दिया गया हो या सहमति न दी जा सकती हो, तब लैंगिक गतिविधि को रोका जाना चाहिए।

ड्रग और अल्कोहोल का सेवन करने पर दंड के प्रति क्षमा

Rockland Community College में प्रत्येक विद्यार्थी का स्वास्थ्य और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। RCC ने यह पता लगाया है कि शराब पीने वाले और/या ड्रग्स लेने वाले विद्यार्थी (चाहे या स्वेच्छा से किया हो या इच्छा के विरूद्ध) घरेलू हिंसा, डेटिंग के समय हिंसा, पीछा करने या उन्हें यौन रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में रिपोर्ट लिखवाने में हिचकिचाते हैं, क्यों कि उन्हें इस बात का डर होता है कि ऐसा करने से उनकी आदतें भी उजागर हो जाएँगी। RCC, विद्यार्थियों को घरेलू हिंसा, डेटिंग के दौरान हिंसा, पीछे करने या यौन रूप से प्रताड़ित होने के संबंध में संस्थान के अधिकारियों के पास रिपोर्ट करने के लिए सशक्त रूप से प्रोत्साहित करता है। इन गतिविधियों को सद्भावना से किए

गए तमाशे या इस उद्देश्य से की गई रिपोर्टिंग, जो कि घरेलू हिंसा, डेटिंग के दौरान हिंसा, पीछा करने या यौन उत्पीड़न करने की घटनाओं को RCC के अधिकारियों या कानून प्रवर्तन के समक्ष प्रकट करते हैं, वे घरेलू हिंसा, डेटिंग संबंधी हिंसा, पीछा करना, यौन उत्पीड़न के लिए गठित आयोग द्वारा निर्मित अल्कोहोल और/या ड्रग के उपयोग की नीतियों के उल्लंघन हेतु RCC's की आचार संहिता के अधीन नहीं होते।

विद्यार्थी अधिकार बिल

सभी विद्यार्थियों के पास निम्न के लिए अधिकार होता है:

स्थानीय कानूनी निकाय और/या राज्य पुलिस को रिपोर्ट करना;

घरेलू हिंसा, डेटिंग संबंधी हिंसा, पीछा करना और यौन उत्पीड़न को गंभीरता से लेकर रिपोर्ट करना;

किसी अपराध या उल्लंघन को सामने लाना है या नहीं और न्यायिक या व्यवहार संबंध प्रक्रिया और/या संस्थान के दबाव से मुक्त अपराध संबंधी न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेना हा या नहीं इस पर निर्णय लेना;

ऐसी प्रक्रिया में भाग लेना जो कि उचित, निष्पक्ष हो तथा पर्याप्त सूचना एवं सुनवाई का अर्थपूर्ण अवसर प्रदान करती हो;

जहाँ उपलब्ध हों, विनम्र संस्थान, उचित और स्वास्थ्यपूर्ण देखभाल और परामर्श संबंधी सेवाओं के साथ उचित व्यवहार करना;

ऐसा कोई भी सुझाव जिसमें अपराध तथा उल्लंघनों की रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति दोषी पाया जाए या फिर जिसमें कि वह ऐसे अपराध या उल्लंघन से बचने के लिए उपाय करता हो;

घटना का वर्णन कुछ संस्थागत प्रतिनिधियों के लिए व्यवहारिक रूप में करें और अनावश्यक पुनरावृत्ति करके उसका वर्णन न करें।

संस्थान के न्यायक्षेत्र के भीतर संस्थान, विद्यार्थी, दोषी व्यक्ति और/या प्रतिसादकर्ता और/या उनके मित्र, परिवार और परिचित द्वारा प्रतिहिंसा से सुरक्षा रहें;

अपील के निर्धारण के कम से कम एक स्तर को एक्सेस करें;

ऐसी प्रकिया से संबंधित सभी मीटिंग और सुनवाई के दौरान सभी न्यायिक या संचालन संबंधी प्रक्रिया के संबंध में रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति, दोषी व्यक्ति या प्रतिसादकर्ता हेतु सहायक और सलाहकार के संपर्क में रहें;

संस्थान की जाँच संबंधी, आपराधिक न्याय या न्यायिक अथवा प्रणाली संबंधी प्रक्रिया में किसी भी तरह के अवरोध के बिना नागरिक अधिकार और धर्म संबंधी स्वतंत्रता पाएँ।

जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, धर्म, नस्ल, आयु, विकलांगता, लिंग, लिंग पहचान या अभिव्यक्ति, यौन अभिविन्यास, पारिवारिक स्थिति, गर्भावस्था, आनुवंशिक विशेषताएँ, सैन्य स्थिति, घरेलू हिंसा के शिकार संबंधी स्थिति या आपराध सिद्धि की परवाह किए बिना और इसकी परवाह किए बिना कि अपराध या उल्लंघन कैम्पस में हुआ है या इसके बाहर या विदेश में पढ़ाई करते समय ये अधिकार लागू होते हैं।

आपके पास विश्व-विद्यालय की पुलिस या कैम्पस की सुरक्षा, स्थानीय कानून प्रवर्तन और/या राज्य पुलिस को रिपोर्ट करने या न करने, अपने संस्थान को रिपोर्ट करने या न करने का विकल्प रहता है, जो कि आपका अधिकार है, आपके आप इस तरह की घटना की रिपोर्ट करने की स्थिति में सुरक्षा प्राप्त करने तथा अपने संस्थान से सहायता और संसाधन प्राप्त करने का अधिकार रहता है।